फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय लालीदेवी बनाम आचीदेवी

केस संख्या 22/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/8/24	अ. प्रार्थी द्वारा बहस पत्र प्रस्तुत की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मूल वाद तामील एवं स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30/8/24 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला मूल वाद के निर्णय जाना उचित प्रतित होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30/8/2024 को ता फैसला मूल वाद कायम किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)